Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

पंथ निरपेक्षता

मदन कुमार वर्मा,
एसोसिएट प्रोफेसर उपाधि (पी.जी.) महाविद्यालय, पीलीभीत उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3 Issue 6
Page Number : 212-215

Publication Issue :
November-December-2020

Article History
Accepted : 01 Dec 2020
Published : 25 Dec 2020

सारांश– पंथ निरपेक्षता तुष्टीकरण की नीति का शिकार थी जिसका परिणाम ये था आये दिन आतंकवादी व अलगावादी गतिविधियाँ भारत के विभिन्न भागों में होती रही। आवश्यकता इस बात की है कि विशुद्ध पंथ निरपेक्षता की नीति अपनायी जाय ताकि राष्ट्रीय हित पर चोट न पहुंचे। बी.जे.पी. इसी नीति का पक्षधर है। यही कारण है कि बी.जे.पी. व उसके सहयोगी भारतीय राजनीति में सफल हो रहे हैं और कांग्रेस का पतन हो रहा है।

मुख्य शब्द – धर्म निरपेक्षता, धम्म, दीन–ए–इलाही, सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्षता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं आदिम धर्म आदि।

भारतीय संविधान में प्रारम्भ में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख न था तथापि प्रस्तावना व मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लेख था। पर भारत की परिस्थितियों को देखते हुए धर्म निरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता व पंथ निरपेक्षता में अंतर करता है तथा पूरा राष्ट्रीय आन्दोलन कांग्रेस के नेतृत्व में पंथ निरपेक्ष होकर चला लेकिन स्वतन्त्रता पश्चात् तुष्टिकरण की राजनीति ने पंथ निरपेक्षता को एकतरफा मुस्लिम पक्ष से जोड़ दिया। जिससे भारत में विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला लेकिन बी.जे.पी. के सत्ता में आने पर विशुद्ध पंथ निरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला इससे भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हुई।

भारतीय संविधान के प्रारम्भ में प्रस्तावना में धर्म एवं उपासना स्वतन्त्रता के उल्लेख के साथ–साथ मौलिक अधिकारों के अनु0 25–28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लेख था लेकिन भारत सरकार इतने से संतुष्ट न हुई उसने यह स्पष्ट करने के लिए भारत एक ऐसा राज्य है जो सभी धर्मो का समान आदर करता है इसकी अभिव्यक्ति हेतू धर्म निरपेक्ष शब्द की जगह प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संसोधन 1976 द्वारा जोड़ा जहां धर्म–निरपेक्षता की कसौटी पर मात्र ईश्वर विहीन धर्म ही खरे उतरते हैं जैसे जैन, बौद्ध आदि, वही पंथ निरपेक्षता की कसौटी पर सभी धर्म खरे उतरते हैं प्रश्न यह उठता है कि

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

जब प्रस्तावना व मौलिक अधिकारों के अध्याय में धार्मिक स्वतन्त्रता का विशद वर्णन था तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता क्यों जोड़ी गई। क्या मात्र अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण हेतु या भारतीय की धार्मिक आस्था को देखते हुए। पंथ निरपेक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द (Secularism) शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका सामान्य अर्थ धर्म–निरपेक्षता है न कि पंथ निरपेक्षता। सैद्धान्तिक रूप से भारत सरकार ने पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग भारत के बहुलवादी धार्मिक स्वरूप को देखते हुए किया है। भारत में लगभग सभी धर्मो के अनुयायी पर्याप्त मात्रा में है। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौध, ईसाई इत्यादि। लेकिन व्यवहारिक रूप में अल्पसंख्यक वर्गो विशेषकर मुस्लिम वर्ग को खुश करने व अपनी तुष्टीकरण की नीति को चमकाने हेतु कांग्रेस दल ने इसे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता के नाम से जोड़ा। पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ राज्य सभी धर्मो के साथ समान व्यवहार करेगा किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर भारत में धर्म–निरपेक्षता शब्द का प्रयोग नही किया गया क्योंकि इससे धर्म–विहीन समाज, ईश्वर विहीन धर्म, जैसे जैन, बौद्ध धर्म का ही बोध होता है। इस कसौटी पर जैन, बौद्ध व कुछ आदिम धर्म में खरे उतरते है। अतः भारतीय समाज की बहुत धार्मिक स्वरूप को देखते हुए पंथ निरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया। क्योंकि भारतीयों के रग–रग में धार्मिक आस्था व विश्वास कूट–कूट कर भरा हुआ है।

धर्म निरपेक्षता का इतिहास एवं व्यवहारिक धार्मिक रूप –

धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी विचार की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के समय हुई जब सीजर सभी ईसाई धर्मावलम्बियों से राज्य निष्ठा की अपेक्षा करता था और उपदेश था जो सीजर का है वह सीजर को दो और जो ईश्वर का है वह ईश्वर को दो इससे धर्म निरपेक्षता के राजनीति से पृथ्थक्करण की नींव पड़ गयी। पुर्नजागरण और मानववाद के दर्शन और प्रचार में पंथ निरपेक्ष मूल्यों को महत्व दिया गया। मैकियावेली जैसे दार्शनिक ने धर्म और राजनीति को पृथक कर धर्म निरपेक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किया। 16वी सदी से मार्टिन लूथर व काल्विन के नेतृत्व में चले आन्दोलन ने धर्म निरपेक्षता के विचार को आगे बढ़ाया। ठीक इसी प्रकार भारत में भगवान बुद्ध व भगवान जैन मुनि के नेतृत्व में चले धार्मिक आन्दोलन ने धर्म–निरपेक्षता व सर्म–धर्म समभाव के विचार को आगे बढ़ाया। जो अशोक के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी अशोक ने धम्म विजय के माध्यम से जो प्रचार शुरू किया वही पूर्व तरह सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। मध्यकाल में अकबर ने जो दीन–ए–इलाही धर्म चलाया वह पूरी तरह सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। अशोक बौद्ध बने तो अकबर दीन–ए–इलाही के सदस्य थे। दोनों यद्यपि धार्मिक थे तथापि उनके पंथ निरपेक्षता कूट–कूट कर भरी थी दोनों सभी धर्मो का आदर करते थे और समान दृष्टि से देखते थे।

आगे चलकर आधुनिक युग में राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान गांधी व नेहरू व अन्यों ने पंथ निरपेक्षता व सर्वधर्म समभाव के आधार पर राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाया। लाल–बाल–पाल ने हिन्दू धार्मिक उत्सवों व नारों का सहारा भारत में जन–जागरण हेतू किया किन्तु ये नारे केवल एक ही पंथ के अनुयायी को आकृष्ट करते थे। जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता बाधित हुई परिणाम 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। किन्तु जब गांधी का उदय हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि शक्तिशाली ब्रिटिशराज के विरूद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न पंथो वाले लोगों के बीच एकता हो। 1919–22 में असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलन के अवसर पर गांधी जी ने पहली बार हिन्दू व मुस्लिम सम्प्रदायों को संयुक्त करने का प्रयास किया। नेहरू की पंथ निरपेक्षता के प्रति गहन निष्ठा थी उनका अभिमत था कि पंथ निरपेक्षता का मार्ग भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाला है गांधी और नेहरू के पंथ निरपेक्षता का यही संकल्प कांग्रेस को विरासत में मिला और इसी को बाद में संविधान में शामिल किया गया।

जैसा ऊपर वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान सभी प्रकार के अल्पसंख्यक को चाहे व धार्मिक, भाषाई व सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक क्यों न ही सभी को संरक्षण देता हे उनके प्रति किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में मुसलमानों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया जिसमें बेगम हजरत महल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, व रफी अहमद किदवई इत्यादि महत्वपूर्ण है दो प्रमुख मुस्लिम नेता जाकिर हुसैन, फखरूद्दीन अली अहमद एवं एक वैज्ञानिक ए.पी.जे. अबुल कलाम व एक सिख ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर चुके है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में मुसलमान, सिख व ईसाई राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि ऊँचे पदों को सुशोभित कर चुके हैं। व्यवहारिक रूप से जब अल्पसंख्यकों की ही बात चलती है तो सामान्य रूप से उसका तात्पर्य मुस्लिमों से होता है चूँकि मुस्लिम एकजुट होकर मतदात करते हैं अतः भाजपा छोड़ कांग्रेस सहित सभी दल मुस्लिमों का मत पाने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते है जिसका परिणाम यह है कि भारत धीरे–धीरे आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा था। ऐसे समय में बी.जे.पी. ने हिन्दूत्व के नाम पर भारी जीत दर्ज कर मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति व उनकी आतंकवादी गतिविधियों को कश्मीर सहित देश के विभिन्न भागों में कुचल कर हिंसक व अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगा दी। भारतीय पंथ निरपेक्षता कितनी सफल रही है और अल्पसंख्यक यहां कितने सुरक्षित है इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि देश के मुस्लिम समुदायों की जनसंख्या दूसरे प्रमुख समुदायों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 2001 व 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत रही जो राष्ट्रीय दर से

6.9 प्रतिशत ज्यादा है जबकि दूसरे धर्मो की जनंसख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। हिन्दूओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8 प्रतिशत है।

विवेचना से स्पष्ट है कि पंथ निरपेक्षता तुष्टीकरण की नीति का शिकार थी जिसका परिणाम ये था आये दिन आतंकवादी व अलगावादी गतिविधियाँ भारत के विभिन्न भागों में होती रही। आवश्यकता इस बात की है कि विशुद्ध पंथ निरपेक्षता की नीति अपनायी जाय ताकि राष्ट्रीय हित पर चोट न पहुंचे। बी.जे.पी. इसी नीति का पक्षधर है। यही कारण है कि बी.जे.पी. व उसके सहयोगी भारतीय राजनीति में सफल हो रहे हैं और कांग्रेस का पतन हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1. भारतीय शासन एवं राजनीति – फाड़िया डा0 बी0एल0 डा0 कुलदीप फाडिया
2. भारतीय शासन एवं राजनीति – नारंग A.S.
3. भारतीय सरकार एवं राजनीति – राय, एम. पी. एवं त्रिवेदी आर.एन.
4. भारतीय राज्य व्यवस्था – जैन पुखराज।
5. भारतीय राज्य व्यवस्था – सईद डा0 एस0एम0
6. विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं